न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–340/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00167)

1. बाबूलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री गोपीराम, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम कनकपुरा, जगन्नाथ जी की ढाणी, पोस्ट पॉच्यावाला सिरसी रोड़, जयपुर।
2. गोविन्द नारायण शर्मा स्व. श्री गोपीराम, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम कनकपुरा, जगन्नाथ जी की ढाणी, पोस्ट पॉच्यावाला सिरसी रोड़, जयपुर।
3. मोतीलाल शर्मा स्व. श्री गोपीराम, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम कनकपुरा, जगन्नाथ जी की ढाणी, पोस्ट पॉच्यावाला सिरसी रोड़, जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. हंसराज शर्मा पुत्र स्व. श्री मोहरू, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण ग्राम कनकपुरा, इंद्रा की कोठी, पोस्ट पॉच्यावाला सिरसी रोड, जयपुर।
2. सत्यनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री मोहरू, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण ग्राम कनकपुरा, इंद्रा की कोठी, पोस्ट पॉच्यावाला सिरसी रोड, जयपुर।
3. रूपनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री मोहरू, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण ग्राम कनकपुरा, इंद्रा की कोठी, पोस्ट पॉच्यावाला सिरसी रोड, जयपुर।
4. राधेश्याम शर्मा पुत्र स्व. श्री मोहरू, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण ग्राम कनकपुरा, इंद्रा की कोठी, पोस्ट पॉच्यावाला सिरसी रोड, जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जयपुर जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. **श्री भगवान सहाय शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री सुबोध जैन एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 15.11.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2013 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम कनकपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 152 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नमबर 155 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 172, 174, 175 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 179 रकबा 32 बीघा, खसरा

P.T.O.

नम्बर 178/299 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 61 बीघा 6 बिस्वा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा अपीलार्थी संख्या 1 बाबूलाल के पिता स्व. गोपीराम एवं अपीलार्थी संख्या 2 व 3 गोविन्दनरायण व मोतीलाल पुत्रान जगन्नाथ के नाम हिस्सा 1/2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 रूपनारायण, राधेश्याम पुत्रान मोहरू के नाम हिस्सा 1/2 का जारी हुआ है जो प्रश्नाधीन निर्णय के पूर्व राजास्व रिकार्ड में इन्द्राज चला आ रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पेडेन्ट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की खातेदारी में दर्ज हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/2 के खातेदारी स्वयं का नाम बहैसियत खातेदार जुड़वाने का विधि विरूद्ध कानूनन प्रभावशून्य अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.2013 पारित करवा लिया जो विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यो के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 द्वारा विवादित भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 में से खातेदारी अधिकरों की घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज एवं चिरस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने बाबत नियमित वाद संख्या 124/2014 उनवानी हंसराज बनाम रूपनारायण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष दिनांक 14.09.2012 को पेश किया गया उक्त नियमित वाद के विचाराधीन रहते अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथाकथित संक्षिप्त कार्यवाही भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधान के तहत अपीलाधीन निर्णय प्राप्त किया है जबकि कानूनन भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत की गई संक्षिप्त कार्यवाही नियमित वाद के प्रभावी होते हुए खारिज किये जाने योग्य थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015 से 2034 में उक्त भूमि हिस्सा 1/2 की खातेदारी रूपनारायण, राधेश्याम पिता मोहरू के नाम दर्ज होना माना है इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के वक्त भूमि विवादग्रस्त में हिस्सा 1/2 में से 1/2 हिस्से की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम कभी भी दर्ज नही रही, धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि रिकार्ड ऑफ राईट में दर्ज हो और जिस पर पक्षकारान सहमत हो उसे ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है जबकि प्रश्नाधीन निर्णय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम या उसके पिता स्वयं मोहरू के नाम खातेदारी दर्ज नही रही। इस प्रकार प्रश्नाधीन निर्णय धारा 136 के प्रावधानों के विपरित पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार विवादित भूमि में हिस्सा 1/2 के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में त्यागपत्र दिनांक

18.02.2007 को निष्पादित किये जाने को आधार मानकर धारा 136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की उक्त फाईडिंग के विरूद्ध अपीलार्थीगण का यह निवेदन है कि हकत्याग पत्र दिनांक 18.02.2007 को न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय ने प्रकरण संख्या 225/2017 उनवानी उप पंजीयक जयपुर सप्तम बनाम रूपनारायण वगैरह में निर्णय दिनांक 24.042018 के अनुसार हकत्याग पत्र की परिभाषा में नही आता है इस प्रकार त्यागपत्र के तहत दी गई सहमति को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में लिपिकीय त्रुटि होना मानकर सहमति के आधार पर पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि उक्त अपीलाधीन निर्णय में अपीलार्थीगण को पक्षकार संयोजित किये बिना एकतरफा में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राप्त किया गया है तथा अपीलाधीन निर्णय के आधार पर रेस्पोडेन्ट अपीलार्थीगण को आए दिन हैरान व परेशान करने लग गये तथा अपीलार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत करने लग गये है एवं अपीलार्थीगण अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीडित पक्षकार अन्यथा भी अपीलार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित नही है लेकिन तहसीलदार से प्राप्त सूचना के तहत नकल से उक्त निर्णय माना भी जावे तो वह कानून अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने में निहित क्षेत्राधिकार के विपरित जाकर पारित निर्णय विधि विरूद्ध है जो प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य निर्णय है जिसे किसी भी न्यायालय से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। इसलिये भी अपीलार्थीगण प्रश्नाधीन निर्णय को चुनौती देने का अधिकार है जिसके लिये अपीलार्थीगण द्वारा अलग से प्रार्थना पत्र बाबत अपील पेश किये जाने का धारा 96 सी.पी. सी. प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय या उसके पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 हंसराज व सत्यनारायण पुत्रान मोहरू के नाम दर्ज नही रही इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्व कारकूनानों के द्वारा राजस्व रिकार्ड शुरू से ही दर्ज खातेदारान के नाम अंकित किया जाता रहा इसलिये लिपिकीय त्रुटि उक्त भूमि विादग्रस्त के सम्बन्ध में वार्षिक रजिस्टर में होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने लिपिकीय त्रुटि होना मानने में अहम कानूनी भूल कर पारित निर्णय निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती के तथ्यों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है तथा उक्त के अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज अन्य भूमि खसरा नम्बर 234 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा जो वर्तमान में रेस्पाडेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा विक्रय करने पर खातेदार क्रेता के नाम दर्ज है जिसके बाबत कोई अनुतोष नही चाहा गया जिससे उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड के बिना तथ्यों को छिपाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित

करवाया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2013 बउनवानी रूपनारायण बनाम तहसीलदार में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.2013 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलाधीन निर्णय के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 159 दिनांक 12.07.2013 को भी निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण को प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 05.07.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार, लोकस नही है तथा अपीलार्थीगण द्वारा बिना अधिकार, बिना लोकस, बिना प्रभावित व्यक्ति द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध पेश की गई अपील प्रथम दृष्टया ही प्रथम चरण में ही खारिज होनी चाहिये। उन्होन आगे कथन किया है कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 2 ने अपना हक, हकूक वादग्रस्त भूमि के मुताबिक जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 04.10.2006 को त्याग किया है, यानि छोडा है, वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता मोहरू के खाते कब्जे की थी एवं मोहरू के मरने के बाद प्रथम सैटिलमेन्ट की लापरवाही या गलती से रूपनारायण, राधेश्याम पुत्रान मोहरू के नाम ही अंकित करदी और हंसराज सत्यनारायण के नाम इन्द्राज अंकित नही किये गये लेकिन मोहरू के चारों पुत्रगण होने के कारण चारों रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की बराबर हक हकूक थी और है। इस भूल को सुधार करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का आवेदन दिनांक 16.04.2013 को आयोजित राजस्व कैम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत पेश किया गया जिस पर तहसीलदार जयपुर ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर अपना प्रतिवेदन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपर प्रथम जयपुर को पेश किया जिसमें उन्होने वादग्रस्त भूमि किता 10 रकबा 61 बीघा 6 बिस्वा का आदेश दिनांक 05.07.2013 से रूपनारायण व राधेश्याम के ही नाम गलत होने से मोहरू के चारों लडको यानि रूपनारायण, राधेश्याम, हंसराज, सत्यनारायण के नाम दर्ज कर शुद्धिकरण करने की सहमति दी है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.07.2013 को अपीलाधीन आदेश पारित कर मोहरू के चारों लडको यानि रूपनारायण, राधेश्याम, हंसराज, सत्यनारायण के नाम दाखिल इन्द्राज बराबर हिस्से का पारित कर दिया इस प्रकार दिनाक 05.07.2013 के अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थीगण के अधिकार किसी भी दृष्टि से न तो प्रभावित होते है और न वे इस आदेश से दुःखी होकर प्रताड़ित की श्रेणी में आते है, मोहरू का निस्फ हिस्सा मोहरू के चारों लडकों में बटां है, वह भी पूर्णरूप से कानूनी प्रक्रिया की पालना करते हुये अपीलधीन आदेश से अपीलार्थीगण के कोई अधिकार हक, हकूक रेस्पोडेन्ट के हक में न तो आये और न उनको किसी प्रकार से प्रभावित ही किया फिर बिला वजह अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2013 के विरूद्ध मौजूदा अपील इतना लम्बे समय बाद पेश करने का कोई औचित्य नही है और उनको कोई अधिकार नही है, इस लिहाजा से वर्ममान अपीलार्थीगण की मौजूदा अपील बिना

P.T.O.

लोकस के होने के कारण अपीलार्थीगण पर पेनल्टी/जुर्माना लगाकर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण स्वयं अपनी अपील में उक्त वादग्रस्त वादग्रस्त भूमि का पर्चा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 रूपनारायण व राधेश्याम पुत्रान मोहरू के नाम जारी होना मान रहे है जिसके आधार पर पूर्व में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2013 द्वारा उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के हकत्याग के आधार पर ही स्व. मोहरू के चारों पुत्रों के नाम बराबर–बराबर अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। ऐसे में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत किसी प्रकार के उज्रात करने के अधिकार कानूनन अपीलार्थीगण को प्रदत्त नही ही है और रेस्पोडेन्ट की उक्त आराजी से अपीलार्थीगण किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार भी नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण की किसी प्रकार की लोकस स्टेण्डाई नही होने एवं प्रकरण में अपीलार्थीगण प्रभावित पक्षकार नही होने से अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी. सी. खारिज किया जाता है तथा अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से अपील भी खारिज की जाती है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15/11/22

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।